

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269740
SG-DL-E-01022026-269740

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]	दिल्ली, रविवार, फरवरी, 1, 2026/माघ 12, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 444
No. 30]	DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 1, 2026/MAGHA 12, 1947	[N. C. T. D. No. 444

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

फा० सं० डीई 15 (375)/पीएसबी/2025/450.—जबकि, दिल्ली विद्यालय शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 (तत्पश्चात 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विद्यालयों द्वारा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 10.12.2025 की अधिसूचना के द्वारा लागू किया गया है; तथा

जबकि, दिल्ली विद्यालय शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) नियमावली, 2025 (तत्पश्चात 'नियमावली' के रूप में संदर्भित) को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिनांक 10.12.2025 को अधिसूचित किया गया है; तथा

जबकि, अधिनियम प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति (एसएलएफआरसी) के गठन को अनिवार्य करता है तथा अभिभावक एवं शिक्षकों की भागीदारी सहित इसकी संरचना, प्रक्रिया और कार्यों को निर्धारित करता है; तथा

जबकि, अधिनियम की धारा 21(1) में प्रावधान है कि यदि अधिनियम के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार अवसर आने पर, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक आदेश के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत कुछ भी नहीं कर सकती है जो कठिनाई का निवारण करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है; तथा

जबकि, धारा 21(1) का प्रथम परन्तुक यह उपबंधित करता है कि अधिनियम के लागू होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसा कोई आदेश बनाया नहीं जाएगा; तथा

जबकि, संविधि के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और आरंभिक कुछ वर्षों में शुरुआती मुद्दों से निपटने के लिए संविधि में कठिनाई के निवारण का खंड अधिनियमित किया गया है;

जबकि, माडेवा उपेन्द्र सिनाई बनाम भारत संघ (1975) 3 एससीसी 765 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि विधायिका की समय पर भारी मांग और ड्राफ्ट्समैन के धैर्य और कौशल सहित उन सभी परिस्थितियों का पूर्वानुमान करना, जिनके लिए एक संविधि अधिनियमित की गई है, या विशिष्ट कारकों के कारण इसके कामकाज में उत्पन्न होने वाली सभी कठिनाइयों का अनुमान लगाना लगभग असंभव है तथा यह विशेषतः सत्य है कि जब संसद कानून बनाती है तो राज्य की सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को एक नया आयाम देती है; तथा इसलिए, किसी संविधि को लागू करने में आने वाली प्रत्येक कठिनाई का निवारण करने के लिए विधायिका से संपर्क करने की आवश्यकता से बचने हेतु विधायिका कठिनाइयों का निवारण करने वाले खंड के माध्यम से, कार्यपालिका को इसके कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए संविधि में अंगीकार और समायोजन करने की शक्ति प्रदान करती है; तथा

जबकि, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में अधिनियम के कार्यान्वयन में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं क्योंकि अधिनियम शैक्षणिक वर्ष की 15 जुलाई तक एसएलएफआरसी के गठन पर विचार करता है जो शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए संभव नहीं था जैसा कि अधिनियम स्वयं अधिसूचित किया गया था और केवल दिनांक 10.12.2025 को लागू किया गया था; तथा

जबकि, वर्तमान कठिनाइयों के निवारण के आदेश के माध्यम से, इसका उद्देश्य वर्ष 2026-27 से शुरू होने वाले तीन शैक्षणिक वर्षों के ब्लॉक हेतु अधिनियम के साथ-साथ विधायी प्रयोजन को प्रभावी बनाना और राज्य स्तरीय शुल्क विनियमन समिति के गठन तथा संबंधित हितधारकों पर अधिनियम के अंतर्गत परिणामी दायित्वों के लिए उचित समयसीमा तय करना है; और

जबकि, ऐसा प्रतीत होता है कि तीन शैक्षणिक वर्षों में से एक ब्लॉक की समाप्ति और तीन शैक्षणिक वर्षों के आगामी ब्लॉक के लिए शुल्क निर्धारण के बीच की अवधि हेतु शुल्क के संग्रह के संबंध में भी कुछ कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होंगी; तथा

इसलिए, दिल्ली विद्यालय शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 (2025 का दिल्ली अधिनियम 04) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 10.12.2025 की अधिसूचना के अनुक्रम में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत समितियों के गठन से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का निवारण करने हेतु निम्नलिखित आदेश बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) इस आदेश को दिल्ली विद्यालय शिक्षा (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2026 कहा जाए।

(2) यह आदेश दिल्ली राजपत्र असाधारण में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ.-

इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय दिल्ली विद्यालय शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 से है;

(ख) "नियमावली" का अभिप्राय दिल्ली विद्यालय शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) नियमावली, 2025 से है;

(ग) "अधिसूचना" का अभिप्राय शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिनांक 10.12.2025 की अधिसूचना संख्या डीई 15 (281)/ एक्ट-1/2013/ पार्ट फाइल-1/9507-9515 से है।

3. 2026-27 से आरंभ होने वाले तीन (3) शैक्षणिक वर्षों के ब्लॉक हेतु समितियों के गठन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण।

(1) अधिनियम या नियमावली में निहित किसी भी बात के होते हुए, अधिनियम के अंतर्गत यथा परिभाषित प्रत्येक विद्यालय, दिल्ली राजपत्र (तत्पश्चात विस्तारित अवधि के रूप में संदर्भित) में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से दस (10) दिनों की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 4 तथा नियमावली के नियम 4 के अनुसार विद्यालय-स्तरीय शुल्क विनियमन समिति (एसएलएफआरसी) का गठन करेगा। दिनांक 24.12.2025 के आदेश के अंतर्गत पहले से गठित किसी भी एसएलएफआरसी को वर्तमान आदेश के अंतर्गत गठित माना जाएगा।

(2) खंड (1) के अंतर्गत एसएलएफआरसी के गठन पर, प्रबंधन चौदह (14) दिनों की अवधि के भीतर, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से शुरू होने वाले तीन शैक्षणिक वर्षों के आगामी ब्लॉक हेतु प्रस्तावित शुल्क का विवरण प्रस्तुत करेगा तथा एसएलएफआरसी अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) और (5) तथा उसके अंतर्गत निर्धारित समयसीमा के अनुसार शुल्क निर्धारित करने हेतु कार्यवाही करेगा।

(3) शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, अधिनियम की धारा 6 और नियमावली के नियम 10 के अनुसार प्रत्येक शिक्षा जिला हेतु जिला शुल्क अपीलीय समिति (डीएफएसी) का गठन करेगा।

(4) उपरोक्त उप-खंड (1), (2), (3) और (4) के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा विशेष रूप से तीन शैक्षणिक वर्षों के आगामी ब्लॉक अर्थात् केवल शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से शुरू होने वाले तीन शैक्षणिक वर्षों के ब्लॉक हेतु तत्काल लागू होगी, तथा तीन शैक्षणिक वर्षों के सभी बाद के ब्लॉकों हेतु, अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत यथानिर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा।

(5) जब तक अधिनियम के साथ-साथ उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार तीन वर्षों के आगामी ब्लॉक हेतु शुल्क निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक संबंधित विद्यालय पहले से अर्थात् दिनांक 01.04.2025 से लिए जा रहे शुल्क से अधिक कोई शुल्क नहीं लेंगे।

(6) शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हेतु विद्यालयों द्वारा लिए गए किसी भी अत्यधिक शुल्क को कानून के अनुसार विनियमित तथा निपटान किया जाएगा, जो की अधिनियम तथा नियमावली की वैधता को चुनौती देने वाली

कार्यवाही का अंतिम परिणाम वर्तमान में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

4. तीन वर्षों के एक ब्लॉक की समाप्ति तथा तीन वर्षों के आगामी ब्लॉक हेतु शुल्क के अनुमोदन के बीच की अवधि से संबंधित कठिनाइयों का निवारण:-

(1) तीन वर्षों के ब्लॉक की समाप्ति पर, जिसके लिए शुल्क, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया है, कोई भी विद्यालय पिछले तीन वर्षों के ब्लॉक हेतु निर्धारित शुल्क से अधिक कोई शुल्क नहीं लेगा, जब तक कि तीन वर्षों के आगामी ब्लॉक हेतु शुल्क, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया हो।

(2) तीन वर्षों के एक ब्लॉक की समाप्ति और तीन वर्षों के आगामी ब्लॉक हेतु शुल्क निर्धारण करने के बीच की अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा संग्रहीत कोई भी शुल्क, उस शुल्क के निमित्त समायोजित किया जाएगा जो अधिनियम के अंतर्गत शुल्क के निर्धारण के अनुसार संग्रहणीय है।

5. प्राधिकारियों और विद्यालयों को निर्देश.

शिक्षा निदेशक और समस्त विद्यालयों के प्रबंधन सहित सभी संबंधित अधिकारी इस आदेश में निर्दिष्ट समयसीमा का अनुपालन करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। अनुपालन में विफलता पर अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत यथा उपबंधित प्रशासनिक तथा नियामक कार्रवाई की जाएगी।

6. बचाव

इस आदेश में निहित कोई भी बात इस आदेश के लागू होने से पहले अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की गई किसी भी कार्रवाई या शुरू की गई कार्यवाही की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश तथा उनके नाम पर,
हर्षित जैन, संयुक्त सचिव (शिक्षा)

EDUCATION DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 1st February, 2026

No. F. DE.15(375)/PSB/2025/450.—WHEREAS, the Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025 (hereinafter referred to as “the Act”) has come into force vide notification dated 10.12.2025 to ensure transparency in fixation and regulation of fees by schools in the National Capital Territory of Delhi; and

WHEREAS, the Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Rules, 2025 (hereinafter referred to as “the Rules”) have been notified on 10.12.2025 to operationalise the provisions of the Act; and

WHEREAS, the Act mandates the constitution of a School Level Fee Regulation Committee (SLFRC) in every school and prescribes its composition, procedure and functions, including participation of parents and teachers; and

WHEREAS, Section 21(1) of the Act provides that if any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of the Act, the Government may as occasion arises, by an order published in the Official Gazette do anything not inconsistent with the provisions of the Act which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty; and

WHEREAS, the first proviso to Section 21(1) provides that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of the Act; and

WHEREAS, a removal of difficulty clause is enacted in a statute to further object of the statute and to deal with teething issues in the initial few years;

WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court in *Madava Upendra Sinai vs. Union of India (1975) 3 SCC 765* noted that with heavy demands on time of the legislature and the endurance and skill of the draftsman, it is well-nigh impossible to foresee all the circumstances to deal with which a statute is enacted for or to anticipate all the difficulties that might arise in its working due to peculiar factors and this is particularly true when Parliament undertakes legislation which gives a new dimension to socio-economic activities of the State and therefore, in order to obviate the necessity of approaching the legislature for removal of every difficulty encountered in the enforcement of a statute, the legislature by way of a removal of difficulties clause, invests the executive with the power to make adaptations and adjustments in the statute for making its implementation effective; and

WHEREAS, some difficulties have arisen in the implementation of the Act to academic year 2025-26 since the Act contemplates the constitution of the SLFRC by the 15th of July of the academic year which was not possible for academic year 2025-26 since the Act itself was notified and brought into force only on 10.12.2025; and

WHEREAS, by way of the present Removal of the Difficulties Order, it is intended to give effect to the Act as well as the legislative intent for the block of three academic years commencing from 2026-27 and fix appropriate timelines for constitution of the State Level Fee Regulation Committee and the consequential obligations under the Act on the respective stakeholders; and

WHEREAS, it appears that some difficulties would also arise with respect to collection of fee for the intervening period between the expiry of one block of three academic years and the fixation of fee for the succeeding block of three academic years; and

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025 (Delhi Act 04 of 2025), and in continuation of Notification dated the 10.12.2025, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following Order to remove difficulties arising in the implementation of the provisions relating to the constitution of Committees under the said Act and the Rules framed thereunder:-

1. Short title and commencement.-

- (1) This Order may be called the Delhi School Education (Removal of Difficulties) Order, 2026.
- (2) It shall come into force with effect from the date of publication in the Delhi Gazette Extraordinary.

2. Definitions.-

In this Order, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025;
- (b) "Rules" means the Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Rules, 2025;
- (c) "Notification" means the Notification No. DE.15(281)/Act-1/2013/Pt.File-I/9507-9515 dated 10.12.2025 issued by the Education Department, Government of NCT of Delhi.

3. Removal of difficulties in constitution of Committees for a block of three (3) academic years commencing from 2026-27.

- (1) Notwithstanding anything contained in the Act or the Rules, every school, as defined under the Act shall, constitute the School-Level Fee Regulation Committee (SLFRC) in accordance with Section 4 of the Act and Rule 4 of the Rules, within a period of ten (10) days from the date of publication of this Order in the Delhi Gazette (hereinafter referred to as the 'extended period'). Any SLFRC already constituted under the Order dated 24.12.2025 shall be deemed to have been constituted under the present Order.
- (2) On constitution of the SLFRC under Clause (1), the Management shall within a period not exceeding fourteen (14) days, submit details of the proposed fee for the next block of three academic years starting from academic year 2026-27 and the SLFRC shall proceed to fix the fee in accordance with sub-sections (4) and (5) of Section 5 of the Act and the timelines prescribed thereunder.
- (3) The Director of Education, Government of NCT of Delhi, shall constitute the District Fee Appellate Committee (DFAC) for each Education District as per Section 6 of the Act and Rule 10 of the Rules, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this Order in the Delhi Gazette.
- (4) The timelines prescribed under sub-clauses (1), (2), (3) and (4) above shall apply exclusively for the immediately next block of three academic years i.e., the block of three academic years starting from academic year 2026-27 only, and for all subsequent blocks of three academic years, the timelines as provided under the Act and the Rules shall be adhered to strictly.
- (5) Till the fee is fixed for the next block of three years in terms of the Act as well as the aforesaid provisions, the schools shall not charge any fees over and above the fee already being charged w.e.f. 01.04.2025 by the respective schools.

(6) Any exorbitant fee charged by schools for the academic year 2025-26 shall be regulated and dealt with in accordance with law subject to the final outcome of the proceedings challenging the vires of the Act and the Rules presently pending before the Hon'ble High Court of Delhi and the Hon'ble Supreme Court of India.

4. Removal of difficulties relating to the period between the expiry of one block of three years and approval of fee for the next block of three years.-

(1) On expiry of a block of three years for which fee has been fixed in accordance with the provisions of the Act, no school shall charge any fee exceeding that which was fixed for the last of the preceding block of three years, until the fee for the next block of three years has been fixed in accordance with the provisions of the Act.

(2) Any fee so collected by the Management during the intervening period between the expiry of one block of three years and the fixing of fee for the next block of three years, shall be adjusted against the fee which become collectible pursuant to the fixing of fee under the Act.

5. Directions to authorities and schools.-

All concerned authorities, including the Director of Education and the managements of all schools, shall take immediate steps to comply with the timelines specified in this Order. Failure to comply shall invite appropriate administrative and regulatory action as provided under the Act and the Rules.

6. Saving.-

Nothing contained in this Order shall affect the validity of any action taken or proceeding commenced in accordance with the provisions of the Act and the Rules before the commencement of this Order.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
HARSHIT JAIN, Jt. Secy. (Education)